11– श्री भगुडा पिता समना बामणिया मीणा निवासी रातडिया।
12– सुरता पत्नि पप्पु बामणिया मीणा निवासी रातडिया ।
13– श्री प्रबन्धक बडौदाराजस्थान ग्रामीण बैंक गलियाकोट तहसील गलियाकोट
14– श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सा0 गलियाकोट

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण– श्री भण्डारी
वकील प्रतिवादीगण– श्री महेन्द्रकुमार जैन
दावा बाबत बेदखली भूमि मकान एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 183,188 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा रातडिया के खाता नंबर 91 संवत 2022 में वादीगण के पिता एंव पति स्व0 मदनसिंह उर्फ वदनसिंह पिता दलपतसिंह के खाते खसरा नम्बर 92 रकबा 1बीघा 15 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा भूमि खाते एवं कब्जे दर्ज थी । उक्त खसरा नम्बर का संवत 2028 में तरमीम सेटलमेण्ट हुआ उस समय नवीन नम्बर कायम हुए जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित है । वादीगण के जमाबन्दी खाता संख्या 259 संवत 2063–66 में वादीगण के संयुक्त खाते में गत खसरा नम्बर 92 संवत 2022 के बने नये खसरानम्बर संवत 2028 में खसरा नम्बर 2179/149 रकबा 08 बिस्वा इस खसरा नम्बर 2179/149 भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी अभी दो वर्ष हुए जबरन मकान बना लिया है अतः प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे ।

वादीगण ने वाद के अन्त में मोजा रातडिया के खसरानम्बर 2179/149 रकबा 08 बिस्वा में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बनाया गया मकान को हटवाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने कि बेदखल होने के बाद दुबारा वादीगण की इस भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण द्वारा वाद की पुष्टि में वाद पत्र के साथ शपथ पत्र एवं भूप्रबन्ध विभाग की जमबान्दी संवत 2022 खाता संख्या 91 खसरा संख्या 92,93 ,फर्द तुलनात्मक एंव खतोनी खाता संख्या 128 संवत 2029 की पेश की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी संख्या 2,10,12 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 5 फौत हो जाने से वकील वादी द्वारा कोई दाद नहीं चाही जाकर शेष प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा ।

वकील प्रतिवादी ने दिनांक 13/1/2009 को प्रतिवादीगण का जवाब एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार वाद बिन्दु कायम किए गए :–

तनकी संख्या 1:–

आया ग्राम रातडिया के खसरा नम्बर 92 रकबा एक बीघा 15 बिस्वा एवं खसरानम्बर 93 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा वादीगण के पिता पति स्व0 वदनसिंह पिता दलपतसिंह के खाते होकर वर्तमान सेटलमेण्ट 2028 में नये खसरा नम्बर 92 से हाल नम्बर 149 रकबा 9 बिस्वा ,2179/149 रकबा 8 बिस्वा ,2180/149 रकबा 9 बिस्वा ,2181/149 रकबा 9 बिस्वा एवं गत खसरा नम्बर 150 रकबा सत्रह बिस्वा ,2176/150 रकबा 18 बिस्वा ,2177/150 रकबा सोलह बिस्वा ,2178/150 रकबा सत्रह बिस्वा बने जिनमें 2179/149 पर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने जबरन दो वर्ष पूर्व मकान बना दिया है ,वादीगण इस मकान से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
तनकी संख्या 2 – (वादीगण)

आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मकान से बेदखल होने के बाद दुबारा अतिक्रमण नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं?
तनकी संख्या 3 – (वादीगण)

आया खसरा नपम्बर 2179/149 रकबा 8 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का मकान गत 25–30 वर्षो से बने हैं जिसमें भूमि एवं मकान पर प्रतिवादीगण का मुखलफाना कब्जा है जिसमें आम के वृक्ष नीम के वृक्ष सागवान अडूवा नीबू आदि के वृक्ष हैं एवं चारों तरफ पुरानी बाड है ? (
प्रतिवादीगण)
तनकी संख्या 4 –

आया प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 2179/149रकबा 8बिस्वा भूमि पर मुखालफाना कब्जा है जिसे खाते दर्ज कराने के अधिकारी होकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं? (प्रतिवादीगण)
तनकी संख्या 5 –

अनुतोष ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से साक्ष्य वादी में गवाह हिम्मतसिंह का बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया ,जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई । वकील वादी ओर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से साक्ष्य वादी बन्द की जाकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्रारम्भ की जाने पर वकील प्रतिवादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि का कमिश्नर नियुक्त किया जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया । प्रतिवादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र एवं वकील प्रतिवादी के प्रतिदावा के जवाबूल जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान खाता संख्या 91 जमाबन्दी बन्दोवस्त संवत 2022 प्रदर्श – 1 ,फर्द तुलनात्मक प्रदर्श– 2 , जमाबन्दी संवत 2029 खाता संख्या 129 प्रदर्श–3 की ओर आकर्षित कर उल्लेख किया कि संवत 2022 में खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 92,93 के खातेदार के स्थान पर वदनसिंह वल्द दलपतसिंह राजपूत दर्ज रेकार्ड है। फर्द तुलनात्मक प्रदर्श– 2 में भी उक्त खसरा नम्बर 92 के वर्तमान खसरा नम्बर 149,2179/149,2180/149,2181/149 एवं खसरा नम्बर 93 के वर्तमान खसरा नम्बर 150,2176/150,2177/150,2178/150 बने है। प्रतिवादीगण का आराजी नम्बर 2179/149 से कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी प्रतिवादीगण द्वारा जबरन मकान बना दिया गया हैं । वकील वादी ने पत्रावली में प्राप्त कमिश्नरी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि खसरा नम्बर 2179/149 हिम्मतसिंह वगैरा पिता वदनसिंह के खाते दर्ज है एंव मौके पर उक्त मूल आराजी 149 के पूरे रकबे पर प्रतिवादीगण का कब्जा है ,पूरे रकबे पर खेत बने हुए हैं एवं वादीगण का कोई कब्जा नहीं है ।वादी के बयान की जिरह में भी गवाह हिम्मतसिंह ने प्रतिवादीगण का कब्जा एवं मकान बनाना बताया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.5.2013को कमिश्नरी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी प्रतिवादीगण स्वयं ने आराजी नम्बर 2179/149रकबा 0.8बिस्वा पर प्रतिवादीगण का 25–30वर्षो से निरन्तर काबिज होना एवं जमीन पर काश्त की रखवाली करने के लिये एंव कृषि औजार रखने के लिये मकान का निर्माण 25–30वर्षो से कर उसमें

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

निवास करने का उल्लेख होने से इस तथ्य की पुष्टि होती है । वकील वादी ने बहस के अन्त में वादीगण के खाते मौजा रातडिया के खसरा नम्बर 2179/149 रकबा 0.8 बिस्वा में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बनाया गया मकान को हटवाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखल होने के पश्चात दुबारा वादीगण की इस भूमि पर अतिक्रमण नही करने बात स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया । तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1:– आया ग्राम रातडिया के खसरा नम्बर 92 रकबा एक बीघा 15 बिस्वा एवं खसरानम्बर 93 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा वादीगण के पिता पति स्व0 वदनसिंह पितादलपतसिंह के खाते होकर वर्तमान सेटलमेण्ट 2028 में नये खसरा नम्बर 92 से हाल नम्बर 149 रकबा 9 बिस्वा ,2179/149 रकबा 8 बिस्वा ,2180/149 रकबा 9 बिस्वा ,2181/149 रकबा 9 बिस्वा एवं गत खसरा नम्बर 150 रकबा सत्रह बिस्वा ,2176/150 रकबा 18 बिस्वा ,2177/150 रकबा सोलह बिस्वा ,2178/150 रकबा सत्रह बिस्वा बने जिनमें 2179/149 पर प्रतिवादीगण ने जबरन दो वर्ष पूर्व मकान बना दिया है ,वादीगण इस मकान से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है । वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी बन्दोवस्त संवत 2022 प्रदर्श – 1 ,फर्द तुलनात्मक प्रदर्श– 2 , जमाबन्दी संवत 2029 खाता संख्या 129 प्रदर्श–3 से यह प्रमाणित होता है कि संवत 2022 में खाता संख्या 91 के खसरा संख्या 92,93 के खातेदार के स्थान पर वदनसिंह वल्द दलपतसिंह राजपूत दर्ज रेकार्ड है। फर्द तुलनात्मक प्रदर्श– 2 में भी उक्त खसरा नम्बर 92 के वर्तमान खसरा नम्बर 149,2179/149,2180/149,2181/149 एवं खसरा नम्बर 93 के वर्तमान खसरा नम्बर 150,2176/150,2177/150,2178/150 बने है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य वादी एवं कमिश्नरी रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि वादीगण के खाते की आराजी नम्बर 2179/149 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। किसी खातेदार की खातेदारी भूमि पर अन्य का कब्जा होना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है ।उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है जिसें वादीगण बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 –

आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मकान से बेदखल होने के बाद दुबारा अतिक्रमण नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है । तनकी संख्या 1 के विवेचन /निर्णयानुसार वादीगण प्रतिवादीगण को बेदखल कराने के अधिकारी होने से बेदखली के बाद दुबारा अतिक्रमण नहीं करने बाबत वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 –

आया खसरा नम्बर 2179/149 रकबा 8 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का मकान गत 25–30 वर्षो से बने हैं जिसमें भूमि एवं मकान पर प्रतिवादीगण का मुखलफाना कब्जा है जिसमें आम के वृक्ष नीम के वृक्ष सागवान अडूवा नीबू आदि के वृक्ष हैं एवं चारों तरफ पुरानी बाड़ बनी है ? (प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं प्रतिदावा से वादीगण के आराजी नम्बर 2179/149 रकबा 8 बिस्वा भूमि पर कब्जा होना स्पष्ट है । दिनांक 27.1.2015 को प्रतिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में मौका कमिश्नरी रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत आवेदन न्यायालय निर्णय दिनांक 15.12.2015 के अनुसार मान्य नहीं कर अस्वीकार किया गया है । प्रतिवादीगण द्वारा जवाब एंव प्रतिदावा में कब्जा /मकान 25–30 वर्ष से मुखलफाना कब्जा होने से वादी का वाद खारीज किया जाने एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किए जाने निवेदन किया गया है । वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह हिम्मतसिंह के बयान की जिरह मे वादी ने मकान 30 वर्ष से अधिक समय से मकान बना होना तथा प्रतिवादीगण के द्वारा 25–30 वर्ष पूर्व विवादित भूमि पर आम,नीम ,सागवान,अडूवा,नीबू इत्यादि के वृक्ष लगाना गलत बताते हुए मकान दो वर्ष पूर्व बनाना बताया है ।प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है । इस सम्बन्ध में भी प्रतिवादीगण की ओर से दो तरफा कार्यवाही का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन से प्रतिवादीगण साक्ष्य एवं दस्तावेज से उक्त तनकी को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4 –

आया प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 2179/149रकबा 8बिस्वा भूमि पर मुखालफाना कब्जा हैं जिसे खाते दर्ज कराने के अधिकारी होकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है। तनकी संख्या 3 के निर्णयानुसार प्रतिवादीगण मुखालफाना कब्जे को साबित करने में असमर्थ रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खाते दर्ज कराने एंव वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही होने से यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 5 अनुतोष

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन से तनकी संख्या 1 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वादी के खाते की आराजी संख्या 2179/149 मौजा रातडिया में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन मकान बना लेने से प्रतिवादीगण अतिक्रमी की श्रेणी में होने से वादीगण प्रतिवादीगण को बेदखल कराने के अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं डिकी कियां जाकर तहसीलदार गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि वादी के खातेदारी की आराजी संख्या 2179/149 मौजा रातडिया में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गये मकान से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

डिकी पर्चा जारी हो । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner